

○ प्रेषक,
निदेशक,
पंचायतीराज, उ०प्र०।

आवंटन
अनुदान सं०-14
तेरह अंको का कोड-2515001010300

सेवा मे,
जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,
शामली, चित्रकूट, महोबा, कानपुर नगर, गोरखपुर,
आगरा, मुजफ्फरनगर तथा गाजियाबाद।

संख्या-1/ 177 /2018-1/15/2018 : लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2018

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-28/2018/970/33-3-2018-100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू० 14,16,450/- (रू० चौदह लाख सोलह हजार चार सौ पचास मात्र) धनराशि उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत व्यय हेतु निदेशालय के प्रथम आवंटन आदेश संख्या-1/शा०/16/ 2018-1/15/2018 दिनांक 17 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-122 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/ 177 /1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01 अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 02 अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन।
- 03 महालेखाकार सी०पी० सी०-2 उ०प्र० इलाहाबाद।
- 04 महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 05 वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 06 सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 07 एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।